SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

21वीं सदी और महिलाओं के मानवाधिकार

मधु कुमारी, शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग
N.P.U. मेदिनीनगर, पलामू, झारखण्ड, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
मधु कुमारी, शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग
N.P.U. मेदिनीनगर, पलामू, झारखण्ड, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 27/04/2022
Revised on : -----
Accepted on : 04/05/2022
Plagiarism : 06% on 27/04/2022

Plagiarism Checker X Originality Report
Similarity Found: 6%

Date: Wednesday, April 27, 2022
Statistics: 249 words Plagiarized / 4460 Total words
Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

शोध सार

आज हम 21 वीं सदी में जी रहे हैं, इस दौरान विश्व में बहुत कुछ बदला है। द्वितीय विश्व युद्ध की भयंकर त्रासदी के बाद यह समझा गया कि मनुष्य को सिर्फ मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इसलिए संयुक्त राष्ट ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में ही कर दी थी। किंतु महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति का अभिसमय 1979 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और भारत सहित 161 देशों ने 1998 में इस अभिसमय को स्वीकृति प्रदान की। सभी देशों द्वारा सिर्फ इस अभिसमय का अपनाने में 20 वीं सदी समाप्त हो गई। 21 वीं सदी में महिलाओं के मानवाधिकार को लागू करने की कोशिश सभी देशों द्वारा की जा रही है। इसमें मनुष्य की गरिमा, स्त्री, पुरूषों के समान अधिकार, भेदभावों की अमान्यता, गरीब महिलाओं को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार आदि से वंचना को मिटाने, रंगभेद आदि का खात्मा आदि पर जोर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एतोनियों गुटेरेश ने 21 वीं सदी को महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करने वाली सदी बनाने का आग्रह किया है। लैंगिक असमानता और महिलाओं व लड़कियों के प्रति भेदभाव विश्व भर में व्याप्त है। महिलाएँ, पुरूषों से खराब हालात में हैं। महिलाओं को अपने मानवाधिकार के लिए भी बड़े अवरोधों को सामना करना पड़ता है। कई युवा महिलाएँ अवरोधों को पार कर इतिहास रची है, किंतु वो पर्याप्त नहीं है। वर्तमान समय में महिलाओं के प्रति हिंसा, भेदभाव, असमानता, सामान्य बात हो गयी है। हर तीन में से एक महिला को अपने जीवनकाल में किसी न किसी रूप में हिंसा का सामना अवश्य करना पड़ता है। तमाम कानूनी संरक्षण के बाद भी महिलाओं को उनका मानवाधिकार नहीं मिल रहा है, जो उन्हें मिलना चाहिए। यह आवश्यक है कि त्रुटिओं की पहचान की

जाए और महिलाओं को उनका मानवाधिकार प्राप्त हो इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाए।

मुख्य शब्द

मानवाधिकार, प्राकृतिक अधिकार, गरिमा, महिला, भेदभाव, समानता.

प्रस्तावना

प्रत्येक 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण दिवस है। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जारी की थी। 'मानवाधिकार ऐसे अधिकार है, जो प्रत्येक मनुष्य को केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त होने चाहिए, चाहे इसके लिए कोई उपयुक्त कानूनी व्यवस्था की गई हो, या ना की गई हो।'[1] इससे स्पष्ट है कि मानव अधिकारो का विचार क्षेत्र, नागरिक अधिकारों की तुलना में अत्यंत विस्तृत है। देखा जाए तो सभ्य मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि या अंतरात्मा की प्रेरणा से मनुष्य मात्र को विशेष गरिमा या मान्यता देते है और यही विचार मानव अधिकारों की अवधारणा का मूल स्त्रोत है। हमारी नैतिक चेतना और सामाजिक चेतना जितनी विकसित होती जाएगी, मानव अधिकारों का विचार क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता जाएगा। वह समाज नैतिक दृष्टि से उतना ही उन्नत माना जाएगा।

मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मानव प्राणी हकदार है। विश्व के सभी देश अपनी–अपनी आवश्यकता व परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में नागरिकों को कुछ न कुछ अधिकार देते है। सामान्यतः यह अधिकार प्राकृतिक अधिकारों के करीब होते है, जो वह देश अपने नियमों के अनुसार वैधानिकता प्रदान करते है, साथ ही उसके संरक्षण के लिए कुछ नियमावली का भी व्यवस्था करते है, जिससे मानव का संपूर्ण विकास हो सके। अधिकार व स्वतंत्रता के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमे नागरिक व राजनैतिक अधिकार सम्मिलित है जैसे– जीवन व आजाद रहने का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ–साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार।

प्राचीन धार्मिक व दार्शनिक किताबों में ऐसी आवधारणाएँ है, जिन्हें मानवाधिकार के रूप में चिन्हित किया जा सकता है जैसे कि अशोक के आदेशपत्र और मुहम्मद गौरी द्वारा निर्मित मदीना का संविधान। "द टवेल्थ आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट (1525) को मानवाधिकार का प्रथम दस्तावेज माना जाता है। यह जर्मनी के किसान विद्रोह स्वाबियन संघ के समक्ष किसानों की मांग का एक हिस्सा था। "प्राकृतिक अधिकार के विचार को तर्क संगत रूप में ढालने का श्रेय जॉन लॉक (1632–1704) को है। लॉक ने तर्क दिया था कि 'जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति का अधिकार मनुष्य की विवेकशील प्रकृति का अभिन्न अंग है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व में ही निहित है, और इसे अलग नहीं किया जा सकता।"[2] लॉक के इस विचार को भविष्य में नये राष्ट्रों उदय के साथ यह विचार सैद्धांतिक रूप पर स्वीकार कर के संविधान में स्वीकार करने की परंपरा शुरू हुई। लॉक के समय ही इंग्लैण्ड में गौरवपूर्ण क्रांति (1688) हुई थी।

अठारहवीं शताब्दी के दौरान सन् 1776 और सन् 1789 में दो प्रमुख क्रांतियाँ घटी जिसके फलस्वरूप क्रमशः संयुक्त राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा एवं फ्रांसीसी मनुष्य के मानव तथा नागरिक के अधिकारों की घोषणा हुई। अमरिकी स्वाधीनता की घोषणा के अंर्तगत कहा गया था कि– "सब मनुष्य जन्म से समान है, उनके जन्मदाता या सृजनकर्ता ने उन्हे कुछ अपरक्राम्य अधिकार प्रदान किए है, इनमें जीवन स्वतंत्रता और सुख की साधना का अधिकार सम्मिलित है।"[3] इन्ही अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकारों की स्थापना की जाती है और उन्हे अपनी न्यायसंगत शांति नागरिकों की सहमति से प्राप्त होती है। यदि कोई सरकार इन अधिकारों को नष्ट करने की ओर अग्रसर होती है, तो जन साधारण उस सरकार को भंग कर सकती है।" मानव तथा नागरिक अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा के अंतर्गत भी ऐसे अधिकारो को दावा किया गया था, जो प्राकृतिक, अहार्य और अपरक्राम्य है। दूसरे शब्दों में ये अधिकार स्वयं प्रकृति की देन है, कोई इनका हरण नहीं कर सकता और ये किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किये जा सकते।

मानव अधिकारों की अवधारणा मुख्यतः बींसवीं शताब्दी के मध्य में प्रकट हुई है। वस्तुतः दूसरे विश्वयुद्ध के बाद मानव अधिकारों की समस्या संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का विषय बनकर उभरी है। न्यूरमबर्ग मुकदमों 1946 के दौरान जर्मनी के नाजियों पर युद्ध अपराधो के अलावा, मानवता के विरूद्ध अपराधो के लिए भी मुकदमें चलाए गए। इन मुकदमों के अभियुक्तों ने अपने देश के यहूदियों पर जो बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए थे, उन्हें मानवता के विरूद्ध अपराध माना गया। इस कार्यवाही के साथ ऐसी मान्यता जुड़ी थी कि, मानव अधिकार अपने आप में मान्य है, ये किसी राष्ट्र के कानून के ऊपर है; इनका उल्लंघन मानवता के विरूद्ध अपराध माना जाएगा। इन अधिकारों की एक विस्तृत सूची मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। यू0 एन0 ओ0 ने अपने सदस्य राष्ट्रों से आग्रह किया, कि चाहे उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी भी क्यों न हो, वे अपने–अपने देश में विशेषतः स्कूलों व अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसका व्यापक प्रदर्शन व प्रचार करें। वास्तव में यह घोषणा एक स्वतंत्र लोक कल्याणकारी राज्य के लिए उपयुक्त है और मानव अधिकारों की विस्तृत योजना प्रस्तुत करती है।

"मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में एक प्रस्तावना के अलावा 30 अनुच्छेद है। प्रस्तावना में कहा गया है कि सब मनुष्यों की स्वाभाविक गरिमा एवं समानता और उनके अपराक्रम्य अधिकारों को मान्यता देकर ही विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की स्थापना की जा सकती है।"[4] यदि मनुष्य को अत्याचार और उत्पीड़न के विरूद्ध अंतिम उपाय के रूप में विद्रोह के लिए विवश नही करना है, तो यह आवश्यक है कि विधि के शासन के द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 30 तक मानवाधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति या समुह को ऐसी गतिविधियों की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, जो अन्य व्यक्तियों के समान अधिकारों की स्वतंत्रता को नष्ट कर सकती है। इस तरह यह घोषणा आधुनिक लोकतंत्रीय कल्याणकारी और सामाजिक न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए एक आदर्श रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

मगर वे सामान्य प्रकार के अधिकार थे। "वास्तव में 1979 में संयुक्त राष्ट्र ने विशिष्ट रूप में 'महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति का अभिसमय अपनाया। इसे सेड़ा के नाम से जाना जाता है। इसमें 30 अनुच्छेद है जो सर्वत्र महिलाओं के लिए समान अधिकारों की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांतो तथा उपायों को बाध्यकारी बनाते है।"[5] इसे वर्तमान स्वरूप में लाने के लिए विभिन्न वर्ग समूहों, संयुक्त राष्ट्र की महासभा तथा महिलाओं की स्थिति पर आयोग के बीच करीब पाँच वर्षों तक विचार विमर्श होता रहा तब जाकर न्यूनतम बिंदुओं पर आम सहमति बनी। 3 सितंबर 1981 को बीस राष्ट्र सदस्यों की सहमति से यह अभिसमय लागु हुआ और 15 जनवरी 1998 तक 161 सदस्य राष्ट्रों ने इस पर स्वीकृति दी जिनमें भारत भी शामिल है।

इसमें मनुष्य की गरिमा, स्त्री, पुरूषों के समान अधिकार, भेदभावों की अमान्यता, गरीबी में महिलाओं को भोजन, स्वस्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार आदि से वंचना को मिटाने रंगभेद प्रजातिवाद, बाह्य आक्रमण आदि का खात्मा आदि पर जोर दिया गया है। इस अभिसमय के कुल 30 अनुच्छेदों में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव खत्म करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख अधिकार दिए गए हैः

- **अनुच्छेद 1:** इसके तहत् भेदभाव को परिभाषित किया गया है। महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव का अर्थ है किसी प्रकार का भेद बहिराव या प्रतिबंध जो लिंग के आधार पर किया जाता है और जिसका उद्देश्य महिलाओं को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या अन्य क्षेत्र में मानवाधिकारों या मौलिक स्वतंत्रताओं के उपयोग में बाधक हो।
- **अनुच्छेद 2:** सदस्य देश महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार की भेद–भाव, निंदा करते है तथा बिना बिलंब किए सभी उचित उपाय करने को सहमत है, जो इस भेद–भावों को खत्म करे।
- **अनुच्छेद 4**: अनुच्छेद 4 में कहा गया है पुरूषों एवं महिलाओं के बीच वास्तविक समानता बढ़ाने के लिए तथा मातृत्व संरक्षण के लिए उठाए गए विशिष्ट उपाय भेदभाव पूर्ण नहीं माने जायेंगे।
- **अनुच्छेद 5:** किसी लिंग की हीनता या श्रेष्ठता या रूढिबद्ध भूमिकाओं पर आधारित पूर्वाग्रहो एवं परंपराओं

तथा व्यवहारो की समाप्ति के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक पद्धतियों में सुधार किया जाएगा और बच्चों के पालन पोषण तथा विकास स्त्री एवं पुरूष की साझी जिम्मेदारी मानी जाएगी।

- **अनुच्छेद 6:** राज्य महिलाओं के व्यापार तथा वेश्यावृति जैसे शोषण को रोकने हेतु कानून बनाने सहित सभी समुचित उपाय करेंगे।
- **अनुच्छेद 7:** सभी राज्य अपने देश के राजनैतिक तथा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के विरूद्ध भेद–भाव को खत्म करने के लिए उपाय करें। विशेषतः–

(अ) सभी निर्वाचनी में मतदान का अधिकार तथा सभी सार्वजनिक निर्वाचित निकायों में चुनाव के लिए पात्र मानना।

(ब) सरकारी नीतियों के निर्धारन व कार्यान्वयन में भाग लेना एवं सार्वजनिक पद हासिल करने का अधिकार।

(स) देश के सार्वजनिक एवं राजनैतिक जीवन से संबंधित गैर–सरकारी संगठनो या संघो में भाग लेने का अधिकार।

- **अनुच्छेद 8:** राज्य सभी उपयुक्त उपाय करेंगे कि पुरूषों के समान महिलायें भी बिना किसी भेद–भाव के अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर पाए तथा अंतराष्ट्रीय संगठनों के काम में भाग ले सके।
- **अनुच्छेद 9:** राज्य महिलाओं को, पुरूषों के समान, अपनी राष्ट्रीयता प्राप्त करने बदलने या बरकरार रखने की स्वीकृति देंगे।
- **अनुच्छेद 10:** राज्य शिक्षा के क्षेत्र में पुरूषों के बराबर महिलाओं को अधिकार सुनिश्चित करने हेतु भेदभावों को खत्म करने के सभी उपाय करेंगे।
- **अनुच्छेद 11(1):** राज्य रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के विरूद्ध भेदभावों को खत्म करने के लिए सभी उचित उपाय करेंगे यथाः–
  - काम करने का अधिकार।
  - रोजगार के समान अवसरो का अधिकार।
  - रोजगार के स्वतंत्र चयन का अधिकार।
  - समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का अधिकार।
  - समाजिक सुरक्षा का अधिकार।
  - प्रजनन कार्य की सुरक्षा सहित कार्य दशाओं में सुरक्षा का अधिकार।
- **अनुच्छेद 11(2):** विवाह या मातृत्व के आधार पर महिलाओं के विरूद्ध भेद–भाव को रोकने के लिए तथा उनको काम का प्रभावकारी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य उपयुक्त उपाय करेंगे यथाः–

  महिलाओं के लिए उनकी गर्भावस्था के दौरान हानिकारक कार्यों में विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- **अनुच्छेद 12:** राज्य महिलाओं के स्वस्थ्य की देख–रेख संबंधी विभिन्न सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगे, यथाः परिवार नियोजन की व्यवस्था, निःशुल्क सेवाएँ एवं पोषाहार की व्यवस्था।
- **अनुच्छेद 13:** राज्य समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के विरूद्ध भेद–भाव को मिटाने के लिए सभी उपाय करेंगे।

विशेषकर

(अ) पारिवारिक लाभों का अधिकार।

(ब) बैंक ऋण, बंधक तथा वित्तीय साख के अन्य रूपो का अधिकार।

(स) मनोरंजन, खेलो तथा सांस्कृतिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भागीदारी का अधिकार।

- **अनुच्छेद 14:** राज्य, वस्तु विनिमय वाली अर्थ व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं के कार्यों सहित अपने परिवार के आर्थिक अस्तित्व हेतु ग्रामीण महिलाओं की भूमिका तथा उनकी कठिनाइयों का ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास में भागीदारी तथा उनके लाभ सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण महिलाओं के विरूद्ध भेद–भाव मिटाने के लिए सभी उपाय करेंगे।
- **अनुच्छेद 15:** राज्य कानून के समक्ष महिलाओं को पुरूषों के अनुरूप समानता प्रदान करेंगे। इसके अलावा राज्य असैनिक मामलों में पुरूषों के बाराबर महिलाओं को वैधानिक क्षमता एवं उसके उपयोग के लिए समान अवसर प्रदान करेंगे तथा वे न्यायालय एवं न्यायाधिकरणों में कानूनी प्रक्रिया सभी चरणों में महिलाओं से समान व्यवहार करेंगे।
- **अनुच्छेद 16:** राज्य विवाह और पारिवारिक संबंधो से संबंधित सभी मामलो में महिलाओं के विरूद्ध भेद–भाव मिटाने हेतु सभी समुचित उपाय अपनायेंगे, विशेषतः–

- विवाह करने के बारे में समान अधिकार।
- जीवनसाथी चुनने और दोनों की स्वतंत्र एवं पूर्ण सहमति से विवाह करने का समान अधिकार।
- विवाह के दौरान भंग होने पर समान अधिकार व दायित्व।
- बच्चों के बारे में माँ, बाप के रूप में समान अधिकार।
- बच्चों की संख्या व अंतराल के बारे में सहायक सूचना, शिक्षा एवं उपायों की सुलभता का समान अधिकार।
- बच्चों के अभिभावकत्व, आश्रिन्व, न्यासत्व और गोद लेने के संबंध में समान अधिकार।
- पति–पत्नी के रूप में समान व्यक्तिगत अधिकार।
- संपति के स्वामित्व, अर्जन, प्रबंधन, प्रशासन या उसके हस्तांतरण के बारे में समान अधिकार।
- बाल विवाह वैधिक रूप से मान्य नहीं होगा, राज्य विवाह के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित करने तथा विवाह पंजीकरण के बावत कानून बनाने की कार्रवाई करेगा।

स्पष्ट है कि 'सेडा' में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समान अधिकार दिए गए है। उनमें से कई सकारात्मक अधिकार से संबंधित है तो कई, नकारात्मक अधिकार शोषणमूलक परंपराओं से और कुप्रथओं के विरूद्ध सुरक्षा संबंधी है। संयुक्त राष्ट्र की मंशा है कि सिर्फ कानूनी तौर पर ही महिलाओं को बराबरी का अधिकार न दिया जाए, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में वास्तविक व्यवहारिक अधिकार भी दिए जाए, जिससे उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। इस प्रकार पुरी दुनियाँ की महिलाओं के लिए 'सेडा' सर्वाधिक क्रांतिकारी अभिसमय हैं जो महिलाओं को घर से बाहर तक, सड़क से संसद तक, खेत दफ्तर तक, विद्यालय से विश्वविद्यालय तक, गाँव से महानगर तक, समानता का पासपोर्ट देता है।

महिलाओं के मानवाधिकार

भारत मे महिलाओं के मानवाधिकार को– तीन प्रकार से बांटा जा सकता हैः–

1. **भारतीय संविधान में महिलाओं के मानवधिकारः** भारतीय संविधान में मानवधिकार दो श्रेणियों में विभक्त है। प्रथम श्रेणी में मौलिक अधिकार आते है जो संविधान के खण्ड तीन में धारा 12–35 में वर्णित है, जिसे लागू करने के लिए सरकार कानूनी तौर पर बाध्य है और जिसका उल्लंधन होने पर नागरिक उच्च या उच्चतम् न्यायालय में याचिका दायर कर सकता हैं, प्रमुख मौलिक अधिकार है।

- **अनुच्छेद 14:** इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कानून के सामने सभी बराबर है तथा उन्हें कानून का समान रूप से सुरक्षा मिलनी चाहिये, इसमें किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है।
- **अनुच्छेद 15:** इसके तहत् राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, लिंग, प्रजाति, जाति, जन्मस्थान, भाषा आदि के आधार पर भेद–भाव नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद 16:** सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में

केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेद–भाव नहीं किया जायेगा। राज्यों को अधिकार है कि वे पिछड़े हुए वर्गों व महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करें।

- **अनुच्छेद 23:** इसके तहत् मानव व्यापार, बेरोजगार या अन्य प्रकार की बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मानव व्यापार में महिलाओं का अनैतिक देह व्यापार भी शामिल है।

यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान महिलाओं को यह मानवाधिकार प्रदान करता है कि कोई पुरूष उनका दैहिक शोषण नहीं करे और न किसी स्त्री के लिए देह व्यापार की स्थिति पैदा हो। पुरूषो की तरह महिलाओं को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। अल्पसंख्यक पुरूषो और महिलाओं को अपनी शैक्षिक संस्थाएँ खोलने का अधिकार भी भारतीय संविधान में वर्णित है।

द्वितीय श्रेणी के अधिकार मे आते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है। ये सिद्धांत लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, ये राज्य की इच्छा से संबंधित राज्य के सरकार द्वारा लागू किये जाते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैः

- **अनुच्छेद 39:** राज्यो को निर्देश दिया गया है कि राज्य नीति का संचालन इस प्रकार करे कि पुरूष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। पुरूषो और स्त्रियों दोनो का सम्मान कार्य के लिए समान वेतन हो।
- **अनुच्छेद 39(ई):** इसके तहत प्रावधान किया गया है कि सभी कामगारों के स्वस्थय एवं ताकत बच्चो की नाजुक उम्र का दुरूपयोग न हो।
- **अनुच्छेद 42:** इसके तहत् राज्य काम करने की न्यायोचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ पैदा करेगा तथा मातृत्व लाभ देना सुनिश्चित करेंगा। इस प्रकार गर्भवती, स्वयं दुध पिलाने वाली महिलाओं के हितो की रक्षा करने का प्रावधान हैं।
- **अनुच्छेद 51 (क):** इसके अन्तर्गत उन सभी बातों का परित्याग करना सुनिश्चित किया गया है, जो नारी सम्मान के विरूद्ध हो।
- **अनुच्छेद 243 (घ)** में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है।[6]

इसके अतिरिक्त संविधान में 73वॉ संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत मे एक तिहाई सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायें में महिला को एक तिहाई आरक्षण दिया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में महिलाओं के मानवाधिकारो का बड़े पैमाने पर उल्लेख है।

(2) कानूनो के तहत् महिलाओं के मानवाधिकारः कई कानूनो के तहत् महिलाओं को मानवाधिकार प्राप्त है, जो निम्नलिखित हैः–

- **खान अधिनियम 1952:** इसके तहत कोई महिला जमीन के नीचे किसी खान में नियोजित नहीं की जायेगी।
- **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956:** यह अधिनियम पुत्री को अपने माता–पिता की सम्पति में पुत्र की भाँति अधिकार प्रदान करता है।(7)
- **मातृत्व लाभ अधिनियम 1961:** इसके अंतर्गत नियोजक महिला कामगार के द्वारा बच्चा जन्मने या गर्भपात होने की तिथि से छः हप्ते तक नियोजित नहीं करेंगा और महिला कर्मचारी काम पर आए बिना औसत दैनिक पारिश्रमिक पाने की हकदार है।
- **दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961:** दहेज मांगना या देना दंडनीय है। इसके तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- **गर्भ चिकित्सकीय अधिनियम 1971:** किसी स्त्री को निबंधित चिकित्सक से अपना गर्भपात कराने का अधिकार है, यदि गर्भ 12 सप्ताह से अधिक का नहीं है।

- **समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976:** एक ही कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए महिला कामगारो को पुरूष कामगारो के बराबर मजदूरी मिलेगी।
- **महिलाओं की अशिष्ट प्रस्तुति प्रतिशोध अधिनियम 1986:** कोई भी व्यक्ति ऐसा काई विज्ञापन न प्रकाशित करेगा, न करवाएगा जो किसी भी रूप में महिलाओं की अशिष्ट प्रस्तुति करता हो।
- **सती निवारक अधिनियम 1987:** इस अधिनियम द्वारा सती प्रथा एवं उसकी महिमामंडित करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाये गए।[8]
- **जन्म पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994:** असमान्यताओं की जाँच को छोड़कर गर्भस्थ भ्रुण के लिंग की जॉच को दण्डनीय बनाया गया है और ऐसा करना दण्डनीय अपराध है।

(3) **न्यायालयो द्वारा घोषित मानवाधिकार:** समय–समय पर सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों ने महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय दिए है, जो निम्नलिखित हैः–

- महाराष्ट्र सरकार बनाम् चंद्रप्रकाश जैन के मामले में 1990 में सर्वोच्च न्यायालय ने (महिलाओं के मानवाधिकार से संबंधित) महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। इस निर्णय में "सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार से संबंधित कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करके, महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए चार प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए। जिसमें कहा गया कि बलात्कार के मामले में अभियुक्त को सजा देने के लिए पीड़ित महिला का प्रमाणिक कथनमात्र पर्याप्त है।[9]
- कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं का र्योन–शोषण न हो, इसके लिए "विशाखा एवं अन्य बनाम् राजस्थान सरकार एवं अन्य 1997 में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि लैंगिक समानता के लिए महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षित महौल हो, क्योंकि संविधान में वर्णित जमीने के अधिकार में सम्मान से जीना शामिल है।[10]
- राम प्रसाद सेठ बनाम् उत्तर प्रदेश शासन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुत्र–लाभ के लिए दूसरा विवाह करना जरूरी नहीं है, साथ एक पति–पत्नी विवाह, समाज सुधार के हित में है।
- सिराज बनाम् हफीजुन्निसा 1981 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि शारीरिक नुकसान या पति की नामर्दगी के आधार पर कोई स्त्री पति के साथ रहने से इंकार कर सकती है।
- सुबानू बनाम् अब्दुल 1987 तथा अन्य कई मामलो में सर्वोच्च न्यायालय कुछ प्रमुख आधारो यथाः दुर्व्यवहार/प्रताड़ना, क्रूरता, पत्नी पर अनैतिकता का झुठा दोषारोपण, पति द्वारा दूसरी औरत से विवाह करने पर, दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर, पति द्वारा तलाक देने की धमकी देने पर, महिला अपने पति के साथ रहने से इंकार कर सकती है।
- गीता हरिहरन एवं एक अन्य बनाम् रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा डॉ. वंदना शिवा बनाम् जयंत बंधोपाध्याय ने अभिभावकीय संरक्षण के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अभिभावक के रूप में हिन्दू अवस्कता एवं अभिभावक अधिनियम 1956 में प्रयुक्त शब्द समूह "पिता और इसके बाद माँ" का आशय पिता के जीवनकाल के बाद माँ नहीं, बल्कि पिता के किसी कारण अनुपस्थिति के समय माँ अभिभावक की हैसियत रखती है।
- सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि तीन तलाक या तलाक–ए–बिद्धत असंवैधानिक है। तीन तलाक पीड़ित पाँच महिलाओं ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुए तीन तलाक की असंवैधानिक और कुरान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया था।[11]

21 वीं सदी मे महिलाओं के मानवाधिकार हेतु भारत सरकार की योजनाएँ

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना:** इसकी शुरूआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से हुई है। इसका उदेश्य बालिका लिंग अनुपात में गिरावट रोकना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह

योजना उन महिलाओं को मदद करती है जो घरेलु हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है।

- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजनाः** इसकी शुरूआत 10 अक्टुबर 2019 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ सरकार दे रही है। इसका उद्देश्य माता व नवजात शिशुओं की मृत्यु रोकना है।
- **प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनाः** भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में आरंभ इस योजना के तहत् गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए 5000/– रूपये का नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य स्वस्थ्य में सुधार लाना और गर्भवती महिलाओं की मजदूरी में क्षति की आंशिक क्षतिपूर्ति करना है।[12]
- **एनीमिया मुक्त भारतः** वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा महिलाओं में एनीमिया को कम करने के लक्ष्य के साथ इस रणनीति को शुरू किया गया।
- **ऑपरेशन आहट और मानव तस्करीः** भारत के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मानव तस्करी को रोकने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। ऑपरेशन आहट के तहत् सभी लंबी दूरी के ट्रेनों/मार्गो पर विशेष टीमों को तैनात करने की योजना है। टीम का कार्य पीड़ितों महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाना है।

21 वीं सदी में महिलाएँ

वर्तमान समय 21वीं सदी का है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एतोनियों गुटरेश ने 21वीं को महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होनें कहा है कि जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी विश्व के सुरक्षित भविष्य स्थिरता, हिंसक संघर्ष की रोकथाम और टिकाउ समावेशी विकास के लिए अहम है। उन्होने लैंगिक असमानता और महिलाओं व लड़कियो के प्रति भेदभाव को ऐसा अन्याय करार दिया है जो विश्व भर मे व्याप्त है।

"1974 में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'टूवार्डस इक्वालिटी' प्रतिवदेन प्रस्तुत किया गया। इसका नवीनतम अधिवेशन मार्च 2019 में हुआ, जिसका लक्ष्य 'महिला सशक्तीकरण' में सतत् विकास को जोड़ना है। भारत सरकार द्वारा भी 2010 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों पर काम करना है।"[13]

महिलाओं के अधिकार के लिए हर प्रकार का अधिनियम कानून, संगठन होने के बाद भी महिलाओं की स्थिति अच्छी या संतोष जनक नहीं है। समय के साथ भारतीय समाज मे कई परिवर्तन हुए, लेकिन महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गयी हे। सर्वेक्षण कहता है कि भारत में महिलाओं का दर्जा दौलत पर निर्भर करता है। भारत में महिलाओं की खराब स्थिति के लिए कम उम्र में विवाह, दहेज, घरेलु हिंसा और कन्या भ्रुण हत्या जैसे कारणों को गिनाया गया है।

देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर जारी चर्चाओं के बीच आज भी महिलाओं की परेशानियों और उसका उचित सामाधान ढुंढने की दिशा में कोई ठोस परिणाम हासिल नहीं किया जा सका है। आज भी महिलाये उतनी सुरक्षित और सम्मानित नहीं दिखती, जितने अधिकार और अवसर उन्हे संविधान प्रदान करता है। वह पीड़ित, प्रताड़ित, भयभीत और अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। महिलाओं के सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा के लिए 08 मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, किंतु यह सिर्फ औपचारिकता रहती है।

जेंडर संबंधी असमानता कई रूपों में उभरकर सामने आती है, जिसमें से सबसे प्रमुख विगत कुछ दशकों में जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में निरंतर गिरावट की स्थिति है। सामाजिक रूढ़ीवादी सोच और घरेलू तथा समाज के स्तर पर हिंसा इसके कुछ अन्य रूप हैं। बालिकाओं, किशोरियों तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव भारत के अनेक भागों में जारी है। जेंडर संबंधी असमानता के आधारभूत कारण सामाजिक और आर्थिक ढांचे से जुड़े हैं, जो

अनौपचारिक एवं औपचारिक मानकों तथा कुप्रथाओं पर आधारित है। परिणामस्वरूप, महिलाओं और खासकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गो की महिलाए जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में और अनौपचारिक, असंगठित क्षेत्र से हैं, की अन्यों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तक पहुंच अपर्याप्त है। अतः वे ज्यादातर सीमांत, गरीब और सामाजिक रूप से वंचित रह जाती हैं।

निष्कर्ष

स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के मानवाधिकार हेतु नियम अधिनियम और योजनाओं की कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है उन सभी का सुचारू व नियमित रूप से क्रियान्वयन हो। महिलाओं को शिक्षित किया जाए। महिलायें शिक्षित होगी तो वे जागरूक होगी, जागरूक हो गई तो अपने मानवाधिकार को प्राप्त करने के लिए स्वतः प्रयासरत् होगी और सफल भी होगी। पुरूष और महिलाओं में समानता स्थापित किए बिना 21वीं सदी को 'महिलाओं की सदी' नहीं बनाया जा सकता। एक परिवार समाज व राज्य के लिए उसकी आधी आबादी का विकास किए बिना विकसित राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. गाबा ओम प्रकाश, (2006), *समकालीन राजनीतिक सिद्धांत,* मयूर पेपर बैकस, दिल्लीय 2006, पृष्ठ सं0– 156।
2. वही, पृष्ठ सं0– 158।
3. वही, पृष्ठ सं0– 159।
4. वही, पृष्ठ सं0– 160–161।
5. शर्मा सुभाष, (2017) *भारत में मानवाधिकार,* राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, दिल्ली, पृष्ठ सं0– 73।
6. गुप्ता प्रतिमा, (2019) "भारतीय महिलाएँ एवं मानवाधिकार ज्ञान गरिमा सिंधु–जर्नल, अंक– 63, जुलाई–सितम्बर 2019, पृष्ठ सं0– 103।
7. वही, पृष्ठ सं0– 104।
8. वही, पृष्ठ सं0– 105।
9. शर्मा सुभाष, (2017), *भारत में मानवाधिकार,* राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, दिल्ली, पृष्ठ सं0– 87।
10. वही, पृष्ठ सं0– 88।
11. दृष्टि The Vision तीन तलाक पर नया विधेयक लोकसभा से पारित, पृष्ठ सं0– 2।
12. Dristhias.com/hindi/...
13. सिंह ऋचा, (2019), "भारत में स्त्री विमर्श की विकास प्रक्रिया, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" ज्ञान *गरिमा सिंधु–जर्नल,* अंक– 63, जुलाई–सितम्बर– 2019, पृष्ठ सं0– 97।

****